

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्य प्रदेश

क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्थानां./94/09/404

भोपाल,दिनांक 1/4/10

// संशोधन आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक स्था-2/राज/ सी/व्या /94/ 09/172 दिनांक 10.2.2010 में आंशिक संशोधन करते हुये लिखा जाता है कि आदेश के सरल क्रमांक-2 पर कालम क्रमांक-6 में अंकित शास.उ.मा.वि.गढा जबलपुर जिला जबलपुर के स्थान पर रानी दुर्गावती शास.क.उ.मा.वि.गढा जबलपुर पढा जावे ।
2/- शेष आदेश यथावत रहेगा ।

सहायक संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

भोपाल,दिनांक 1/4/10

पृष्ठा.क्रमांक/स्था.2/सी/व्या./स्थानां./94/09/405
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक,मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा, म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय भोपाल ।
3. कलेक्टर जिला जबलपुर ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला जबलपुर ।
5. सयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय जबलपुर ।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला जबलपुर ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर । की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवाअभिलेख से यह पुष्टि कर ले, की स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में व्याख्याता के पद पर सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधितों को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।

सहायक संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश